भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1614
जिसका उत्तर शुक्रवार, 16 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है

**ओपिनियन पोल और एग्जिट पोलों पर प्रतिबंध की मांग**

**1614. श्री एम. बदरुद्दीन अजमल :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एग्जिट और ओपिनियन पोल प्रचार और झूठे दावों के उपकरण बन रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मुद्दे पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या राजनीतिक दलों सहित कई समूहों और व्यक्तियों द्वारा ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाने की जोरदार मांग की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार आदर्श आचार संहिता की घोषणा और कार्यान्वयन के बाद और परिणाम घोषित होने तक ओपिनियन और एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्री**
**( श्री किरेन रीजीजू )**

**(क) से (घ) :** देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराने के लिए, किसी भी मतदानपूर्व सर्वेक्षण के संचालन पर और, मतदान के प्रारंभ होने से लेकर सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक की अवधि के दौरान, किसी भी माध्यम से, किसी भी मतदानपूर्व सर्वेक्षण के परिणाम के प्रकाशित करने या प्रचारित करने पर निर्बंधन विद्यमान है । ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध के संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

**(ङ) :** उपरोक्त (क) से (घ) की दृष्टि में, प्रश्न ही नहीं उठता ।

******